पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

10 यात्री/मालकर अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित

परिवहन आयुक्त

लखनऊ : 25 अगस्त, 2026

परिवहन आयुक्त श्री आशुतोष निरंजन ने आज वित्तीय वर्ष 2026—27 के प्रथम त्रैमास (अप्रैल से जून, 2026) की प्रवर्तन कार्यवाही की समीक्षा की। उक्त समीक्षा में पाया कि कतिपय यात्री/मालकर अधिकारियों द्वारा माह अप्रैल, 2026 से जून, 2026 तक के प्रशमन शुल्क के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अत्यन्त न्यून कार्यवाही की गयी।

परिवहन आयुक्त ने कहा कि यह परिलक्षित हो रहा है कि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा विभागीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिये पदीय दायित्वों का निर्वहन विभागीय निर्देशानुसार नहीं किया गया है। साथ ही इनकी शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता शासन एवं विभाग की मंशा के विपरीत होने के साथ—साथ राजस्व पूर्ति में भी बाधक है।

परिवहन आयुक्त ने प्रशमन शुल्क के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अत्यन्त न्यून कार्यवाही करने वाले 10 यात्री/मालकर अधिकारियों के विरूद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम—7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की है।

श्री राजेश सिंह कुशवाहा, यात्रीमालकर अधिकारी, महाराजगंज, श्री मदन चन्द्र, यात्री/मालकर अधिकारी, बलरामपुर, श्रीमती केकी मिश्रा, यात्री/मालकर अधिकारी, प्रयागराज, श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, यात्री/मालकर अधिकारी, बस्ती, सुश्री अनीता वर्मा, यात्री/मालकर अधिकारी, चन्दौली, श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह, यात्री/मालकर अधिकारी, महोबा, श्री विक्रांत सिंह, यात्री/ मालकर अधिकारी, रायबरेली, श्रीमती रानी सेंगर, यात्री/मालकर अधिकारी, अयोध्या,

श्री प्रमोद कुमार, यात्री/मालकर अधिकारी, जौनपुर,श्री विजय किशोर आनन्द, यात्री/मालकर अधिकारी, आगरा के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्रवाई की गई है।

सम्पर्क सूत्र—आशीष सिंह

वैशाली माथुर/12:20 **PM**

फोन नम्बर Direct : 0522—2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522—2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522—2237230 0522—2239586 ई—मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in